FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम बायतु

बलवन्तसिंह बनाम जब्बरसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 137 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/9/2015	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी एड ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 88 40 188 R राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/11/2015 को पेश हो।	
04/11/15	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन जारी नहीं किये गये। जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 05/01/16 को पेश हो।	
05/01/16	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन जारी किये गये। तामील होकर प्राप्त होने पर पत्रावली दिनांक 16/03/16 को पेश हो।	
16/03/16	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10/05/16 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

23/5/16 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट खमरापार में प्रस्तुत हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सा.प.3 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त शेष के सम्मन अदम तामिल प्राप्त जो शामिल मिसल किये गये।

चूंकि पीठासीन अधिकारी के ज्येष्ठ भ्राता का देहावसान हो जाने के कारण अवकाश पर है। अतः उनके दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में दूरभाष पर दिये निर्देशानुसार उक्त पत्रावली पुनः सन्तरा कैम्प में सभी पक्षकारान वकुलाय को सूचित होकर दिनांक 11/6/16 को प्रस्तुत हो।

11/06/16 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सन्तरा में रखी गई, वादी वकील उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादीगण कोई उपस्थित नहीं हुआ। अवसर दिया जाकर पत्रावली फाइनल दिनांक 31/08/16 को पेश हो।

31/08/16 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद इंद्रपाल सिंगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा रोज आगामी दिनांक 20/12/16 को पेश हो।

20/12/16 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब हेतु दिनांक 08/02/17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/02/17	वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आईन्दा पेश करना चाहते हैं स्थगन दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11/04/17 को पेश हो।	
11/04/17	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03/05/17 को पेश हों।	
03/05/17	वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। आईन्दा पेश करना चाहते हैं पूर्व में पर्याप्त स्थगन दिये गये अंतिम स्थगन दिया जाकर पत्रावली दिनांक 04/08/17 को पेश हो।	
04/08/17	वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आईन्दा पेश करना चाहते हैं पूर्व में अंतिम स्थगन दिया गया था 200/- Cost पर एक और स्थगन दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/09/2017 को पेश हो।	
06/09/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी [illegible] दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/11/17 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

27/12/17 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, पूर्व में Cost पर अवसर दिया गया था, पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 14/02/18 को पेश हो।

14/02/18 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता या वे स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5-45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है वादी साक्ष्य भी अनुपस्थित शपथपत्र पेश करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली शपथपत्र दिनांक 24/04/18 को पेश हो।

24/04/18 वादी वकील उपस्थित। वादी साक्ष्य अनुपस्थित। शपथपत्र पेश करना चाहते हैं एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 30/04/2018 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/04/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूचि बाबत सेटलमेन्ट नकल ग्राम मलवा गोयलान खसरा नम्बर- 29 व मौजा- मलवा चारणान खसरा नम्बर- 68 पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1- श्री बलवन्तसिंह पुत्र खानसिंह जाति- राजपूत निवासी- मलवा उतराद परवार मेल-खाता- पार तहसील- गिड़ा, जिला- बाड़मेर, PW-2- खेताराम पुत्र श्री पनाराम जाति- जाट निवासी- मलवा उतराद तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर व PW-3- आम्बासिंह पुत्र श्री मंगनासिंह जाति- राजपूत निवासी- मलवा उतराद तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी साक्ष्य बंद किये जाते है। वादी वकील की एक-पक्षीय बहस सुनी गई वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हिन्दू विधि से शासित होते है। तथा एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो स्व. नगसिंह के विधिक वारिसान है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि मौजा- मलवा उतराद परवार मेल खातपार तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर- 100/29 रकबा- 26.04 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेन्ट के समय वादी के पिता खानसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मुकनसिंह का 1/2 हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता कांकसिंह का 1/2 हिस्से पर संयुक्त कब्जा काश्त था तथा संयुक्त रूप से काश्त करते थे। ऐसी स्थिति में 1/2 हिस्से का पर्चा लगान वादी के पिता खानसिंह व मुकनसिंह	- - -

प्रशासक ... (SDO) पंचायत

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नाम से पारित किया जाना था। परन्तु उक्त खसरे में वादी के पिता ख्यानसिंह का नाम पीछे छोड़ते हुऐ अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मुकनसिंह का 1/2 हिस्से का पर्चा लगान जारी किया गया तथा वादी के पिता का नाम अंकित नहीं किया गया। जबकि समस्त खसरान की भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी किया जाना था परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता का नाम अपने भाई मुकनसिंह के साथ राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं हुआ तथा पर्चा लगान में वादी के पिता का नाम पीछे छोड़ते हुए 1/2 हिस्से का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम जारी कर दिया जबकि वादी के पिता का भी वक्त सेटलमेन्ट के समय 1/4 हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जा था तथा दोनों भाई संयुक्त रूप से निवास करते थे तथा 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का था। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मूल खाता नम्बर-68 में दोनों भाईयों ख्यानसिंह व मुकनसिंह के वारिसान का नाम अंकित है परन्तु वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता ख्यानसिंह का नाम गत सेटलमेन्ट के समय पीछे रह गया जबकि मौके पर आज भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा मौके पर वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े आदि बने हुए है। वादी को वादग्रस्त भूमि में अपना नाम न होने की पूर्व में जानकारी नहीं हुई परन्तु वर्तमान में लोक अदालत में भूमि का बंटवारा करवाने हेतु रजवा पटवारी से वादग्रस्त भूमि की वर्तमान	

उपखण्ड अधिकारी (प्रथम)
जालोर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो हल्का पटवार ने बताया कि आपका नाम वादग्रस्त भूमि में नहीं है तथा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम से दर्ज है जिस पर वादी ने समस्त राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो वादी को जानकारी हुई कि वादी का नाम सेटलमेन्ट अधिकारियों की भूल से अंकित होने से रह गया था, ऐसी स्थिति में वादी को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने हेतु यह वाद घोषणा का प्रस्तुत करना पड़ा। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री जगदीश मोदारा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद तामील अनुउपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया। वादी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूचि मय नकल सेटलमेन्ट नकल ग्राम मलवा गोयलान खसरा नम्बर-29 व मौजा-मलवा चारणान खसरा नम्बर-68 पेश की गई तथा वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1 श्री बलवन्तसिंह पुत्र ध्यानसिंह जाति-राजपूत निवासी- मलवा उतराद पटवार मण्डल-ध्यारापार तहसील-गिड़ा व PW-2- खेताराम पुत्र श्री पनाराम जाति-जाट निवासी- मलवा उतराद तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर तथा PW-3- आम्बसिंह पुत्र श्री मंगनसिंह जाति-राजपूत निवासी-मलवा उतराद तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में वादी का उक्त विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा होना व उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त रहना	

सहायक कलेक्टर (प्रथम)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ढाणियां टांके, चारनाड़े, पशुबाड़े आदि होना बताया गया तथा साथ ही यह भी बताया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादी गणों का उक्त विवादित आराजी में बराबर-बराबर का हिस्सा ~~तथा~~ है शेष भूमि में वादी व प्रतिवादीगणों की संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है परन्तु उक्त विवादित भूमि में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज होने से वंचित रह गया लेकिन वादी का घर व कब्जा काश्त लगातार है इसलिए वादी उक्त भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि का हकदार है। वादी को उक्त भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। हमने वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनि गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया तथा वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत वादी साक्ष्य के शपथ-पत्रों पर मनन किया गया। बाद मनन उक्त विवादित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा खातेदारी का बनना प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- मतवा उतरादा पटवार मण्डल- खारापार तहसील गिड़ा जिला- बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर- 100/29 रकबा- 26.04 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादी को 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे, अन्तिम डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी :– श्री हेताराम चौहान R.A.S.

अनवान्

वादीगण बनाम **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. बलवन्तसिंह पुत्र खानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मलवा उतराद, पटवार क्षेत्र–खारापार, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जबरसिंह पुत्र मुकनसिंह
2. बेरिसालसिंह पुत्र मुकनसिंह
3. मोडसिंह पुत्र बांकसिंह
4. भीखसिंह पुत्र बांकसिंह

जातियान्–राजपूत, निवासीयान्–मलवा उतराद, पटवार क्षेत्र–खारापार, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर।

5. तहसीलदार, गिड़ा

दावा बाबत 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 137/15 **निर्णय दिनांक :– 30.04.2018**

वादी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.04.2018 को (नाम पीठासीन अधिकारी) हेताराम चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मलवा उतराद पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 100/29 रकबा 26.04 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए, वादी को 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner